

मध्य प्रदेश शासन
गृह (पारपत्र) विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-3(ए)31/2011/ए-1/दो
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29/03/2019

पुलिस अधीक्षक
जिला-इन्दौर
(म0प्र0)

विषय:- 90 दिन का वापसी पृष्ठांकन/निवासवृद्धि पाक नागरिको- श्री शंकरलाल पुत्र श्री मोहनलाल 2. श्रीमती परमेसरी पत्नी श्री शंकरलाल निवासी जिला इंदौर।
संदर्भ:- आपका विशेष शाखा को संबोधित पत्र क्रमांक जिविशा/इन्दौर/पाक 2019(74C/19) दि. 2.03.2019

---00---

पाक नागरिको श्री शंकरलाल पुत्र श्री मोहनलाल 2. श्रीमती परमेसरी पत्नी श्री शंकरलाल को 90 दिन दि.26.06.2019 तक वापसी पृष्ठांकन स्वीकृत किया जाता है। पारपत्र यथा विधि वितरण हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया पारपत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति शीघ्र भेजे।

2/ उपरोक्तानुसार ही उनका आर.पी.पृष्ठांकित किया जाकर चेक पोस्ट को सूचना दी जाय। अगली अवधि के आवेदन पत्र भेजते समय राज्य शासन के इसी संदर्भ का उल्लेख करें।

- 1 श्री शंकरलाल पुत्र श्री मोहनलाल मूल पारपत्र क्रमांक BB-8792322
- 2 श्रीमती परमेसरी पत्नी श्री शंकरलाल मूल पारपत्र क्रमांक FC-3950292

संलग्न: उपरोक्तानुसार

नोट:- पाक नागरिको श्री शंकरलाल के दिनांक 18.04.2013 से 17.08.2014 तक एवं दि.18.08.2014 से 18.08.2016 तक एवं श्रीमती परमेसरी के दिनांक 3.07.2013 से 17.08.2014 तक एवं 18.08.2014 से 18.08.2016 तक निवासवृद्धि प्रस्ताव अप्राप्त है। अपेक्षित निवासवृद्धि प्रस्ताव यथाशीघ्र भिजवाये।

(श्रीदास)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पारपत्र) विभाग

भोपाल, दिनांक 29/03/2019

क्रमांक एफ-3(ए)31/2011/ए-1/दो-
प्रतिलिपि:-

1. सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा गुप्तवार्ता(बी) म.प्र. भोपाल, के पत्र क्रमांक विशा/20/पाक/2019-20 (96)दि.28.03.2019 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. आवेदक श्री शंकरलाल पुत्र श्री मोहनलाल निवासी 433 गुमास्ता नगर जिला इन्दौर मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. सामान्य शाखा गृह विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर अजडेट करने हेतु।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन गृह (पारपत्र)विभाग